

प्रेस नोट दिनांक 17.09.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी पुलिस द्वारा 04 अदद देशी सुतली बम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पट्टी पुलिस द्वारा क्षेत्र में देखभाल, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग एवं भ्रमण के दौरान राजसी ढाबा से आगे पट्टी-चांदा रोड, बहद ग्राम बीबीपुर, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ से अभियुक्त मिंटू जायसवाल पुत्र स्व० भगवान दास जायसवाल निवासी ग्राम किंदीपुर, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर, उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 04 अदद देशी नाजायज जिन्दा सुतली बम बरामद हुए।

बरामदगी एवं विधिक कार्यवाही-

बरामदगी के आधार पर थाना पट्टी पर मु०अ०सं० 395/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। बरामद 04 अदद देशी सुतली बम को मौके पर ही पानी, मिट्टी आदि के माध्यम से प्रभावहीन कर चिटबंदी की कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- मिंटू जायसवाल पुत्र स्व० भगवान दास जायसवाल निवासी ग्राम किंदीपुर, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर, उम्र करीब 30 वर्ष।

अपराधिक इतिहास-

1-मु०अ०सं० 401/2011, धारा 379/411 भा०द०वि०, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर।

2-मु०अ०सं० 402/2011, धारा 223/224 भा०द०वि०, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर।

3-मु०अ०सं० 561/2011, उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम, 1970, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर।

4-मु०अ०सं० 29/2021, धारा 3/25 आयुध अधिनियम, 1959, थाना लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर।

5-मु०अ०सं० 30/2021, धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, थाना लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर।

6-मु०अ०सं० 532/2021, धारा 379/411 भा०द०वि०, थाना लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर।

7-मु०अ०सं० 051/2024, धारा 60(1) उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर।

8-मु०अ०सं० 121/2024, धारा 379/411 भा०द०वि०, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी का विवरण-

1- 04 अदद देशी नाजायज जिन्दा सुतली बम।

पुलिस टीम-

उ0नि0 प्रशांत कटियार, का0 सोनू कुमार एवं का0 नागेश राय, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म-जरायम, शांति व्यवस्था एवं तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 197/2026 धारा 65(1) बीएनएस व 5N/6 पॉक्सो एक्ट, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित अभियुक्त पुनीत सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम सुजानपुर, त्रिलोकपुर, थाना चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर को राजपूत चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- पुनीत सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम सुजानपुर, त्रिलोकपुर, थाना चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर।

पुलिस टीम का विवरण-

म0उ0नि0 सारिका साहू मय हमराह उ0नि0 आनन्द राय, का0 निर्दोष कुमार एवं का0 रामजनम सिंह, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

थाना अन्तू पुलिस द्वारा 06 एनबीडब्ल्यू वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना अन्तू पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, शांति व्यवस्था, तलाश वांछित/सक्रिय अपराधी, एनबीडब्ल्यू वारण्टी एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर 06 एनबीडब्ल्यू वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1 - अजय पाण्डेय पुत्र सुतूर पाण्डेय उर्फ विजय नारायण, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम शिवराजपुर, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़। संबंधित वारंट केस नं० 1161/2021, मु०अ०सं० 111/2021, धारा 323/504/506 भा०द०वि० व 3(1)(r)/3(1)(s)/3(2)(5a) SC/ST Act।
- 2 - यतेन्द्र कुमार ओझा उर्फ लाल बाबू ओझा पुत्र रामकृपाल ओझा, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम शिवराजपुर, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़। संबंधित वारंट केस नं० 1161/2021, मु०अ०सं० 111/2021, धारा 323/504/506 भा०द०वि० व 3(1)(r)/3(1)(s)/3(2)(5a) SC/ST Act।
- 3- रिकू ओझा पुत्र रामकृपाल ओझा, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम शिवराजपुर, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़। संबंधित वारंट केस नं० 1161/2021, मु०अ०सं० 111/2021, धारा 323/504/506 भा०द०वि० व 3(1)(r)/3(1)(s)/3(2)(5a) SC/ST Act।
- 4 - राज सिंह पुत्र हरिकेश सिंह उर्फ पप्पू सिंह, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम रामपुर प्रान, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़। संबंधित वारंट केस नं० 160/2023, मु०अ०सं० 506/2022, धारा 323/504/506 भा०द०वि० व 3(1)(r)/3(1)(s)/3(2)(5a) SC/ST Act।
- 5 - रिषू सिंह पुत्र हरिकेश सिंह उर्फ पप्पू सिंह, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम रामपुर प्रान, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़। संबंधित वारंट केस नं० 160/2023, मु०अ०सं० 506/2022, धारा 323/504/506 भा०द०वि० व 3(1)(r)/3(1)(s)/3(2)(5a) SC/ST Act।
- 6 - रिशभ सिंह उर्फ कल्लू पुत्र हरिकेश सिंह उर्फ पप्पू सिंह, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम रामपुर प्रान, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़। संबंधित वारंट केस नं० 160/2023, मु०अ०सं० 506/2022, धारा 323/504/506 भा०द०वि० व 3(1)(r)/3(1)(s)/3(2)(5a) SC/ST Act।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० सचिन यादव मय हमराह का० लोकेन्द्र सिंह, का० लाखन सिंह, का० मृत्युंजय चौधरी, का० सुमित कुमार एवं का० जितेन्द्र यादव, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़

थाना कंधई पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 35.84 ग्राम अवैध एमडी (मादक पदार्थ), इलेक्ट्रॉनिक तराजू एवं मोटरसाइकिल बरामद की गई-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कंधई पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग एवं तलाश वांछित/वारण्टी के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर 03 अभियुक्तों 1. सचिन तिवारी उर्फ दिलावर पुत्र कपिल देव तिवारी, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम पूरे भुलई, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़, 2. सिद्धार्थ शुक्ला पुत्र राजमणि शुक्ला, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम गोगलापुर, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ एवं 3. अश्वनी

तिवारी पुत्र निशाकांत तिवारी, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम तरहा, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से कुल 35.84 ग्राम अवैध एमडी बरामद हुई, जिसमें सचिन तिवारी उर्फ दिलावर के कब्जे से 21.43 ग्राम, सिद्धार्थ शुक्ला के कब्जे से 8.23 ग्राम एवं अश्वनी तिवारी के कब्जे से 6.18 ग्राम एमडी बरामद हुई। अभियुक्त सचिन तिवारी उर्फ दिलावर के कब्जे से 01 अदद इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 09 अदद छोटी पारदर्शी पन्नियां एवं 01 अदद POCO कंपनी का मोबाइल फोन बरामद हुआ। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण के कब्जे से बरामदगी में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स बरामद की गई।

बरामद अवैध मादक पदार्थ के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कंधई पर मु0अ0सं0 214/2026 धारा 338/336(3)/340(2) बीएनएस व 22(C) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1-सचिन तिवारी उर्फ दिलावर पुत्र कपिल देव तिवारी, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम पूरे भुलई, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।
- 2-सिद्धार्थ शुक्ला पुत्र राजमणि शुक्ला, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम गोगलापुर, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।
- 3-अश्वनी तिवारी पुत्र निशाकांत तिवारी, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम तरहा, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-

- 1-कुल 35.84 ग्राम अवैध एमडी।
- 2-01 अदद इलेक्ट्रॉनिक तराजू।
- 3-09 अदद छोटी पारदर्शी पन्नियां।
- 4-01 अदद मोबाइल फोन POCO कंपनी, रंग नेवी ब्लू।
- 5-01 अदद मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अनुपम पटेल, उ0नि0 कैलाश यादव, का0 कपिल, रि0का0 संदीप पासवान, रि0का0 राहुल पटेल, रि0का0 नदीम, का0 विवेक सिंह एवं का0 हरीश दक्ष, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

स्पेशल टीम- उ0नि0 विजेन्द्र सिंह प्रभारी स्पेशल टीम, हे0का0 भानु प्रताप सिंह, का0 मुकेश पटेल, का0 माधवेश राय, का0 आनंद यादव, का0 पियूष यादव एवं उ0नि0 अजीत सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 एनबीडब्ल्यू वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना मान्धाता पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त, दबिश एवं क्षेत्र भ्रमण के दौरान माननीय न्यायालय एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी आदेशिका के अनुपालन में 01 एनबीडब्ल्यू वारण्टी अभियुक्त को संजय तिराहा, कस्बा मान्धाता, से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- बब्लू सरोज पुत्र राजबली, निवासी ग्राम बिधुरा, थाना थरवाई, जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 35 वर्ष। संबंधित केस नं० 372/2023, मु०अ०सं० 237/2019, धारा 395/412 भा०द०वि०।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० अमरेश यादव मय हमराह हे०का० शिशुपाल सिंह एवं रि०का० अवनीश यादव, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान भुपियामऊ रेलवे स्टेशन से धारा 87/137(2)/64(1) बीएनएस व पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त अमित बौद्ध पुत्र सरबजीत बौद्ध निवासी ग्राम पुरैली, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1 - अमित बौद्ध पुत्र सरबजीत बौद्ध, निवासी ग्राम पुरैली, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० अभिषेक वर्मा मय हमराह का० प्रवीण कुमार एवं का० अखिलेश यादव, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अलग-अलग प्रकरणों में विवाद कर शांति एवं कानून-व्यवस्था भंग करने की आशंका के दृष्टिगत कुल 05 अभियुक्तों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही कर चालान किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमण/देखभाल, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग, प्रार्थना पत्रों की जांच एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान अलग-अलग स्थानों पर विवाद कर शांति एवं कानून-व्यवस्था भंग करने की आशंका के दृष्टिगत कुल 05 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की गई।

प्रथम प्रकरण- दिनांक 17.09.2026 को ग्राम विष्णुपुर में विवाद की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर शांति एवं कानून-व्यवस्था भंग कर रहे पुष्पेंद्र पटेल, शिवम सरोज, अकरम एवं नीरज पटेल को पुलिस द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, किन्तु उनके उत्तेजित एवं आक्रामक होने पर शांति व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस हिरासत में लिया गया। चारों के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की गई।

द्वितीय प्रकरण- दिनांक 17.09.2026 को ग्राम जामताली स्थित जरियारी एसएन एकेडमी के पास पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया गया। प्रथम पक्ष के पंकज दुबे द्वारा पुलिस की बात न मानते हुए उत्तेजित होकर मरने-मारने पर आमदा होने पर शांति एवं कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की गई।

अभियुक्तों का विवरण-

- 1- पुष्पेंद्र पटेल पुत्र फूलचंद पटेल, निवासी ग्राम विष्णुपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।
- 2- शिवम सरोज पुत्र राजेश सरोज, निवासी ग्राम विष्णुपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष।
- 3- अकरम पुत्र इशितयाक, निवासी ग्राम विष्णुपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष।
- 4- नीरज पटेल पुत्र शंकर लाल, निवासी ग्राम विष्णुपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष।
- 5- पंकज दुबे पुत्र स्व० अशोक कुमार दुबे, निवासी ग्राम शिवगढ़ बिंदागंज, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ०नि० अचिन्त्य शुक्ला मय हमराह का० विकास बाबू एवं का० धीरज कुमार थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

उ०नि० राजवीर सिंह मय हमराह कां० चन्दन यादव थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।